कार्यालय प्राचार्य,नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला
जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.)

ई.मेल principal_gncmohla@rediffmail.com
www.naveencollege.com

फोन नं. 07747–299104
(College Code – 1915)

क्रमांक 96 /अ.व्या./विज्ञापन/2025 मोहला, दिनांक 28/07/2025

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय महाविद्यालय का नाम नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला, जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.) के सहायक प्राध्यापक एवं क्रीडा अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन/खेल–कूद व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीडा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 04.08.2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट – विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड एवं www.naveencollege.com वेबसाईट में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

GKJoshi
प्रभारी प्राचार्य
नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला
जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य,नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय

मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.)

ई.मेल– girlcollegemohla@gmil.com

क्रमांक/97 /2025 मोहला, दिनांक 28/07/2025

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/07/2025 के अनुसार नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.) में अध्यापन व्यवस्था /खेल–कूद व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि क्रीडा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 04/08/2025 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रसतुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

विषय/पदों का विवरण :–

रिक्त पदों का विवरण		
क्र.	**विषय**	**सहायक प्राध्यापक**
1	रसायनशास्त्र	01
2	वनस्पतिशास्त्र	01
3	अंग्रेजी	01
4	क्रीडा अधिकारी	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता –

1 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिये न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख –रखाव हेतु अन्य उपाय) विवियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अन्य पिछडा वर्ग (असम्पन्न वर्ग), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2 आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष एवं अतिथि क्रीडा अधिकारी 62 वर्ष तक।

3 छत्तीसगढ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी

शर्ते :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वी, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम फिल/पी–एच डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

Scanned with OKEN Scanner

2. दिनांक 04/08/2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुकम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रकिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 11/08/2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जावेगा।
5. गुणानुकम अनुसार अंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 14/08/2025 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18/08/2025 को किया जावेगा, जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है, तो उसे उस दिशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–(30000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चर कालखंड लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/–(35000/–प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला, जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.) पो.–मोहला, तह.–मोहला, जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.) पिन 491666 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner